मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 18/4/2017

// आदेश //

आदेश कमांक F 19-30/2017/1/4 संपूर्ण मध्यप्रदेश में सांस्कृतिक एकता स्वरूप दिनांक 01 मई 2017 को अद्वैत दर्शन के प्रथम आचार्य आदि गुरू शंकराचार्य जी की 'प्राकट्य पंचमी' मनाने हेतु निर्णय लिया गया है । इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है :–

1. कार्यकम का नोडल विभाग संस्कृति विभाग रहेगा ।

2. कार्यक्रम के संबंध में सभी प्रकार के प्रशासकीय एवं वित्तीय निर्णय लेने हेतु श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव संस्कृति ,श्री एस. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव, मान0 मुख्यमंत्री जी, श्री नीरज वशिष्ठ , उपसचिव, मान0 मुख्यमंत्री जी एवं श्री मनीष पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मुख्यमंत्री जी की 04 सदस्यीय कोर कमेटी गठित की जाती है ।

3. दिनांक 01/05/2017 को भोपाल में एक वृहद स्वरूप का केन्द्रीय कार्यक्रम जबलपुर, रीवा, सागर, ग्वालियर, उज्जैन एवं इंदौर में भी संगोष्ठी एवं सांस्कृति कार्यक्रम आयोजित किये जावेंगे । इसके प्रथम चरण में बौद्धिक संगोष्ठी तथा तत्पश्चात् सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जावेगें ।

4. ऊपर कमांक 03 में उल्लेखित जिलों को छोड़कर मध्यप्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर द्वारा विभिन्न विभागों के समन्वय से कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा । कलेक्टर द्वारा संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन स्थानीय सहयोग से किया जावेगा । इस कार्यक्रम में वे ऐसे वक्ताओं को आमंत्रित करेंगे जो आदि शंकराचार्य के जीवन एवं कार्यो पर प्रकाश डाले ।

5. सभी जिला मुख्यालयों पर प्रातः सांस्कृतिक एकता के लिये दौड़ (अधिकतम 01 किलोमीटर) का कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा ।

6. इसके अतिरिक्त ब्लाक मुख्यालयों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भी आदि शंकराचार्य के स्मरण--प्रसंग का आयोजन किया जाये ।

7. इन सभी स्तरों पर कार्यक्रमों के लिये स्थानीय गणमान्य नागरिकों, युवाओं सामाजिक/आध्यात्मिक/सांस्कृतिक/अशासकीय संगठनों, रोटरी क्लब, लायन्स क्लब एवं स्थानीय संत समाज की भागीदारी भी सुनिश्चत की जाना है ।

8. उक्त समस्त गतिविधि को जिले में संयोजित करने के लिये कलेक्टर द्वारा डिप्टी कलेक्टर/समकक्ष श्रेणी के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर उनका नाम, पदनाम, दूरभाष/मोबाईल ई–मेल, फैक्स प्रमुख सचिव, संस्कृति को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(संजय कुमार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग